न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 22/2025

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, लूणोल, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
2. श्री दीपदान पुत्र श्री भीमदान, निवासी– करोटी, तहसील–रेवदर, जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) श्री पुखराज पुरोहित, अति0 विकास अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही।
(प्रार्थी की ओर से)

(2) अधिवक्ता श्री मदन सिंह राठौड़, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से।

(3) अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह देवड़ा, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से।

–ः निर्णयः– **दिनांक 24 मार्च, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, लूणोल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 73 दिनांक 16–10–2022 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री मदन सिंह राठौड़ उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह देवड़ा उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण ने अप्रार्थीगण की ओर से अलग अलग जबाव व दस्तावेज प्रस्तुत किये।

(3) प्रकरण में दिनांक 13–3–2026 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री पुखराज पुरोहित, अतिरिक्त विकास अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही ने प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही से ग्राम पंचायत, लूणोल में सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत, लूणोल की आबादी भूमि में पुराने गृहो के विनियमितिकरण के जारी पट्टों के संबंध में प्राप्त शिकायत पर पंचायत समिति, रेवदर द्वारा जांच कमेटी गठित कर जांच कमेटी से जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट में ग्राम पंचायत, लूणोल द्वारा पट्टा विलेख संख्या 73 दिनांक 16–10–2022 को अनियमित जारी किया जाना पाया गया। अप्रार्थी दीपदान पुत्र श्री भीमदान, निवासी–करोटी (लूणोल) को पट्टा विलेख संख्या 73 दिनांक 16–10–2022 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने गृह के विनियमितिकरण के तहत जारी किया गया हैं। उक्त प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर कोई निर्माण या कब्जा नहीं है तथा भूमि रिक्त (खाली) है व मौके की स्थिति अनुसार उक्त पट्टे की भूमि पर किसी प्रकार का मकान (गृह) होना प्रतीत नहीं हो रहा है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, लूणोल द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 (दो) को नियम विरुद्ध पट्टा जारी पंचायत कोष व राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाई है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, लूणोल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) दीपदान पुत्र श्री भीमदान, निवासी– करोटी के हक

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख (विक्रय विलेख) संख्या 73 दिनांक 16—10—2022 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, लूणोल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) श्री दीपदान पुत्र श्री भीमदान, निवासी करोटी के हक में पट्टा संख्या 73 दिनांक 17—03—2023 कुल नाप 1375 वर्गफीट का दिनांक 17—03—2023 को जारी किया गया हैं न कि दिनांक 16—10—2022 को, जो सही एवं विधिपूर्ण प्रक्रिया के तहत कच्चा मकान / झोपड़े को पुराना पुश्तैनी हक स्वामित्व का मानते हुए अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के प्रार्थना पत्र दिनांक 06—09—2021 के अनुरूप ग्राम पंचायत, लूणोल में मिसल संख्या 71 कायम कर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर पंचायत आम बैठक प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06—09—2021 में मौका निरीक्षण करने हेतु प्रस्ताव लेने के बाद मौका निरीक्षण कमेठी का गठन कर मौका निरीक्षण करवाकर प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20—09—2021 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न कर मौका निरीक्षण कमेटी के पंचगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का मकान 70— 80 वर्षो पुराना व पुश्तैनी होने से पुराने गृहो का विनियमितिकरण नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करने की अनुशंषा करने पर आक्षेप आमंत्रित करने का निर्णय लेकर दिनांक 21—09—2021 को आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस क्रमांक 55, गवाहों के रूबरू चस्पा कर आवेदनकर्ता से शपथ पत्र / घोषणा पत्र मय गवाह बयान लेकर प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05—10—2021 अनुसार आपत्ति नोटिस की अवधि समाप्ति तथा अन्दर मियाद किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने से एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का मकान 70—80 वर्षो पुराना व पुश्तैनी होने से पुराने गृहो का विनियमितिकरण नियम 157 (1) के तहत पट्टा शुल्क लेकर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 25—10—2021 के प्रस्ताव संख्या 04 के तहत उक्त पट्टे के साथ कुल 82 पट्टों का ग्रामसभा के द्वारा पुष्टि कर अनुमोदन किया गया जिससे दिनांक 17—03—2023 को पट्टा शुल्क रुपये 320 / — रसीद क्रमांक 30 से जमा कर बुक नंबर 53 से पट्टा संख्या 73 अंतिम निर्णय के तहत कुल नाप 1375 वर्गफीट वर्णित चतुदर्शी का पट्टा नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के हक में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, लूणोल द्वारा पट्टा संख्या 73 पूर्णरूप से सम्पूर्ण मिसल मय पत्रावली प्रक्रिया के तहत मौके पर जांच कर पुराना कच्चा मकान / झोपड़ा पुश्तैनो मकानात कब्जा बतौर साक्ष्य प्रमाणित मानते हुए आपत्ति सूचना अडौस—पडौस के बाद मियाद, नियमानुसार उक्त पट्टा जारी किया गया हैं, जिससे गठित जांच कमेटी, पंचायत समिति, रेवदर के अनुसार उक्त प्रश्नगत पट्टा अनियमित जारी किया जाना पाया जाने का कथन पूर्णतया गलत तथा जांच, रेकर्ड एवं पत्रावली मिसल के विपरीत है। उक्त प्रश्नगत पट्टा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का कब्जा पुराना पुश्तैनी 70—80 वर्षों से बतौर कच्चे मकानात / झोपड़े मौके पर चला आ रहा हैं, जिसमें सन् 2017 में अत्यधिक बारिश होने के कारण उक्त कच्चा मकान जर्जर हो गया था जिससे अप्रार्थी संख्या 02 (दो) ने ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त कच्चा मकान / झोपडे हटाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा था जिस पर ग्राम पंचायत, लूणोल के द्वारा प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 14—11—2022 की पालना में दिनांक 21—11—2022 को अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमाक / ग्राम / 2021—22 / 94 जारी किया गया, उसके बाद उक्त कच्चा मकान / झोपड़े को हटाया गया है। ग्राम पंचायत, लूणोल ने पुराने गृहो का विनियमितिकरण नियम 157(1) के तहत एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व नियम 1996 के प्रावधानों एवं नियमों के तहत अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के आवेदन अनुरूप, पंचायत बैठक में प्रस्ताव, निरीक्षण कमेटी, आपत्ति सूचना, स्वतंत्र व्यक्तियों के बयानों मौका जांच मय सम्पूर्ण पत्रावली मिसल का भलीभांति अवलोकन व निरीक्षण कर विधिक प्रक्रिया

.......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

अपनाकर उक्त पट्टा विलेख संख्या 73 दिनांक 17—03—2023 को जारी किया गया हैं, जिससे निगरानी आवेदन में वर्णित यह कथन गलत व बेमाना है कि पट्टे की भूमि पर कोई निर्माण या कब्जा नहीं हैं तथा भूमि रिक्त हैं। मौका स्थिति अनुसार इस पट्टे की भूमि पर मकान नही होने का निगरानी आवेदन में अंकित कथन भी पूर्णतया गलत व बेमाना हैं। प्रशनगत पट्टे की शिकायत अनुरूप जांच मिसल पत्रावली दस्तावेज व मौके पर भौतिक सत्यापन किये बिना एक मात्र राजनैतिक दवाब व रसुकात तथा आदतन झूठी शिकायत करने वालें व्यक्तियों के दवाब में गलत जांच की गई हैं, उक्त जांच प्रतिवेदन के संबंध में सम्पूर्ण जांच कार्यवाही न तो हुई हैं एवं न ही जांच अंतिम नतीजा पेश हुई हैं, जबकि उक्त प्रश्नगत पट्टे के साथ ग्राम पंचायत, लूणोल ने बतौर प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 25—10—2021 को अनुमोदन व पुष्टि करके कुल 82 पट्टे जारी किये हैं, जिससे निगरानी आवेदन में वर्णित सम्पूर्ण कथन गलत जांच व फाईनल नतीजा आदेश के प्रभावहीन हैं। चूंकि मिसल व पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट रुप से प्रतीत व प्रकट होता हैं कि उक्त पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व नियम 1996 के प्रावधानों एवं नियमों की किसी भी प्रकार की अनदेखी या अनियमिता नहीं हुई हैं व ग्राम पंचायत, लूणोल द्वारा नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के हक में प्रश्नगत पट्टा सही जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) ने उसके पुश्तैनी मकान का पट्टा नियम 157(1) में जारी करवाने हेतु ग्राम पंचायत, लूणोल में आवेदन पेश किया था तथा इस आवेदन के साथ अप्रार्थी संख्या 2 (दो) ने अपने पुश्तैनी मकान/झोपड़े के नजरी नक्शे भी पेश किये थे जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम कर सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते सम्पूर्ण मिसल मय पत्रावली प्रक्रिया के तहत मौके पर मौका निरीक्षण कमेटी के पंचगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 (दो) का मकान 70—80 वर्षो पुराना व पुश्तैनी होने से पुराने गृहो का विनियमितिकरण नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करने की अनुशंषा करने पर पुराना कच्चा मकान/झोपडे पुश्तैनी मकानात कब्जा बतौर साक्ष्य प्रमाणित मानते हुए आपत्ति सूचना अडौस पडौस के बाद मियाद, ग्राम पंचायत की बैठकों में कार्यवाही करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व नियम 1996 के नियम 157 (1) के प्रावधानों के अनुसार पट्टे के लिये निर्धारित शुल्क रुपये 320/— रसीद संख्या 30 से दिनांक 17—03—2023 को वसूल कर रसीद देकर नियमानुसार बुक संख्या 53 से पट्टा संख्या 73 जारी किया गया हैं, जो सही हैं। पट्टा संख्या 73 की भूमि पर बना हुआ उक्त कच्चा मकान जर्जर हो गया था जिसे हटाने हेतु अप्रार्थी संख्या 02 (दो) द्वारा ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र पेश कर अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया। जिस पर ग्राम पंचायत, लुणोल ने पंचायत बैठक में प्रस्ताव पारित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया उसके बाद उक्त कच्चा मकान/झोपड़ा को हटाया गया है, जिससे निगरानी आवेदन में उक्त पट्टा अनियमित जारी करने तथा आर्थिक हानि पंहुचाने का कथन रेकर्ड पत्रावली व सम्पूर्ण मिसल के विपरीत होने से गलत हैं। उक्त पट्टा जारी करने में राज्य सरकार को किसी भी प्रकार से आर्थिक हानि नहीं हुई हैं, नियम 157(1) के प्रावधानों के अनुसार पट्टे के लिये निर्धारित शुल्क राशि रुपये 320/— पूर्णरूप से वसूला गया हैं। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के अधिवक्ता के कथनों की ताईद व समर्थन करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के प्रार्थना पत्र दिनांक 06—09—2021 पर ग्राम पंचायत, लूणोल में मिसल संख्या 71 कायम कर मिसल पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर पंचायत आम बैठक प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06—9—2021 में मौका निरीक्षण करने हेतु प्रस्ताव लेने के बाद मौका निरीक्षण कमेटी का गठन कर मौका निरीक्षण करवाकर प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20—09—2021 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट पत्रावली संलग्न कर मौका निरीक्षण कमेटी के पंचगण के द्वारा अप्रार्थी

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

संख्या 02 (दो) का मकान 70–80 वर्षा पुराना व पुश्तैनी होने से पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करने की अनुशंषा करने पर आक्षेप आमंत्रित करने का निर्णय लेकर दिनांक 21–09–2021 को आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस गवाहों के रूबरू चस्पा कर आवेदनकर्ता से शपथ पत्र/घोषणा पत्र मय गवाह बयान लेकर प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05–10–2021 अनुसार आपत्ति नोटिस की अवधि समाप्ति तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने से अप्राथी संख्या 02 (दो) का मकान 70– 80 वर्षों पुराना व पुश्तैनी होने से पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम 157(1) के तहत पट्टा शुल्क लेकर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 25–10–2021 के प्रस्ताव संख्या 04 के तहत उक्त पटटे के साथ कुल 82 पट्टों का ग्रामसभा के द्वारा पुष्टि कर अनुमोदन किया गया जिससे दिनांक 16–10–2022 को पट्टा शुल्क रुपये 320/– जमा कर बुक नम्बर 53 से पट्टा संख्या 73 दिनांक 17–3–2023 कुल क्षेत्रफल 1375 वर्गफीट का नियमानुसार जारी किया गया। उक्त पट्टा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का कच्चा मकान जर्जर हो गया था जिससे अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त कच्चा मकान/झोपडे को हटाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया था जिस पर ग्राम पंचायत, लूणोल के द्वारा प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 14–11–2022 की पालना में दिनांक 21–11–2022 को अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमाक/ग्रापं/2021–22/94 जारी किया गया, उसके बाद उक्त कच्चा मकान को हटाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार, बयानों रेकर्ड व मौका निरीक्षण में उक्त पट्टों की भूमि पर पट्टेधारियों के पूर्व के आवास बने होने या नहीं होने के संबंध में पुष्टि नहीं की जा सकती हैं, वर्तमान में कोई कब्जा निर्माण नहीं हैं अंकित किया गया है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिनांक 30–12–2024 को दिये गये तथा जांच दिनांक 14–02–2025 को पूर्ण कर जांच रिपोर्ट पेश की गई जबकि पट्टे दो वर्ष पूर्व जारी किये गये थे तथा ग्राम पंचायत, लुणोल से अनापत्ति प्रमाण पत्र, दिनांक 21–11–2022 को लेकर कच्चें मकानों को हटाया गया था। हटाने के दो वर्ष बाद शिकायत कर जांच करवा कर दुर्भावना पूर्ण इरादे से निगरानी आवेदन पेश किया गया है। करोटी के पुरानी आबादी भूमि के खसरा संख्या 42/1 में नियम 157 (1) के तहत कुल 8 पट्टे जारी किये गये, लेकिन उक्त पट्टे से सहित केवल 2 पट्टों की जांच पर निगरानी आवेदन पेश किया गया है तथा अन्य 6 पट्टों की शिकायत पर जांच की कमेटी गठित कर आदेश दिनांक 23–05–25 से जांच करवाई गई तथा पट्टों को तकनीकी आधार पर सही माना गया, जबकि उक्त सभी पट्टो में मिसल कार्यवाही व विधिक प्रक्रिया समान रुप से अपनाई गई है। प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर कोई निर्माण या कब्जा नहीं होने तथा भूमि रिक्त होने के संबंध में पूर्णतया गलत व बेमाना कथन किया हैं। प्रार्थी द्वारा गलत जांच व रेकर्ड पत्रावली एवं मौका स्थिति के भौतिक सत्यापन के विपरीत गलत मौके व जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त निगरानी आवेदन पेश किया है। उक्त प्रश्नगत पट्टा जारी करने से राज्य सरकार या पंचायत को किसी भी प्रकार से आर्थिक हानि नहीं हुई हैं, नियम 157 (1) के प्रावधानों अनुसार पट्टे के लिये निर्धारित शुल्क राशि रुपये 320/– पूर्णरूप से वसूला गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, लूणोल द्वारा संकल्प संख्या 02 दिनांक 05–10–2021 के अनुसरण में अप्रार्थी दीपदान पुत्र श्री भीमदान, निवासी– करोटी के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1375 वर्गफीट भूमि का पट्टा विलेख संख्या 73 दिनांक 17–3–2023 को जारी किया गया है।

.......पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23—क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः—

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल—

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये— 100 / — रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये— 200 / — रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप—खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप—खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर ने निगरानी आवेदन में यह कथन किया है कि ''ग्राम पंचायत, लूणोल में सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत, लूणोल की आबादी भूमि में पुराने गृहो के विनियमितिकरण के जारी पट्टों के संबंध में प्राप्त शिकायत पर पंचायत समिति रेवदर द्वारा जांच कमेटी गठित कर जांच कमेटी से जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट में ग्राम पंचायत, लूणोल द्वारा पट्टा विलेख संख्या 73 दिनांक 16—10—2022 को अनियमित जारी किया जाना पाया गया।'' जबकि इस न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी दीपदान पुत्र श्री भीमदान, निवासी— करोटी द्वारा ग्राम पंचायत, लुणोल में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत पुश्तैनी कब्जे शुदा मकान का विनियमितिकरण कर पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत, लुणोल द्वारा दिनांक 06—9—2021 को मिसल (पत्रावली) संख्या 71 दर्ज की जाकर ग्राम पंचायत, लुणोल द्वारा पंचायत बैठकों में संकल्प (प्रस्ताव) पारित करके राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों व विहित विधिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करते हुए पंचायत बैठक दिनांक 05—10—2021 के संकल्प (प्रस्ताव) संख्या 02 से अप्रार्थी दीपदान पुत्र भीमदान को पट्टा जारी करने का निर्णय पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत, लुणोल की ग्रामसभा 25—10—2021 में प्रस्ताव संख्या 04 (चार) से उक्त प्रश्नगत पट्टे की पत्रावली का अनुमोदन होने एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) में वर्णित अनुसार राशि पंचायत कोष में जमा होने पर अप्रार्थी दीपदान पुत्र श्री भीमदान, निवासी— करोटी के पक्ष में पट्टा संख्या 73 दिनांक 17—3—2023 को जारी किया है।

प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर का यह भी कथन है कि ''उक्त पट्टे की भूमि पर कोई निर्माण या कब्जा नहीं है तथा भूमि रिक्त (खाली) है व मौके की स्थिति अनुसार इस पट्टे की भूमि पर किसी प्रकार का मकान (गृह) होना प्रतीत नहीं हो रहा है।'' प्रार्थी ने उक्त कथन के समर्थन में निगरानी आवेदन के साथ पंचायत समिति, रेवदर के आदेश क्रमांकःपंसरे / पंचायत / 2025 / 01 दिनांक 01—01—2025 से गठित जांच कमेटी (जिसमें पंचायत समिति, रेवदर के सहायक अभियन्ता व सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं पंचायत समिति, रेवदर के दो अतिरिक्त विकास अधिकारियों

.....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सहित कुल 04 सदस्य शामिल है) के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 14—2—2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। उक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 14—2—2025 के पृष्ठ संख्या 3 में अन्तिम पेरा में यह अंकित किया गया है कि "प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा करोटी से आबूरोड़ डामर सडक (हाइवे) के बाई ओर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में दो पट्टे श्री दीपदान पुत्र भीमदान व श्रीमती लीला कंवर पत्नी भीमदान को राजस्थान पंचायती राज नियम 157 (1) में वर्ष 2022 में जारी किए गए है। बयानों, रिकार्ड व मौका निरीक्षण में उक्त पट्टों की भूमि पर पट्टेधारियों के पूर्व में आवास बने होने या नही होने के संबंध में पुष्टि नही की जा सकती। वर्तमान में उक्त पट्टो की भूमि पर कोई निर्माण या कब्जा नही है, रिक्त है। मौके की स्थिति अनुसार भी इन पट्टो की भूमि पर मकान आवास होना प्रतीत नही हो रहा है।"

इस प्रकार, उक्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा गठित जांच कमेटी ने उक्त पट्टे की भूमि पर पट्टेधारक के पूर्व में आवास बने होने या नही होने के संबंध में कोई पुष्टि नही की है और जांच कमेटी द्वारा उक्त पट्टे की भूमि के मौके की वर्तमान स्थिति के आधार पर जांच की गई है तथा प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर ने भी उक्त प्रश्नगत पट्टे को निरस्त कराने हेतु यह निगरानी आवेदन, प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके की उक्त जांच रिपोर्ट में अंकित वर्तमान स्थिति के आधार पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। जबकि अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत ग्राम पंचायत, लुणोल की ग्रामसभा दिनांक 14—11—2022 के प्रस्ताव संख्या 04 एवं ग्राम पंचायत, लुणोल द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांकःग्रापं/2021—22/94 दिनांक 21—11—2022 की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्रामसभा में श्री दीपदान पुत्र भीमदान, करोटी द्वारा अपने पट्टेशुदा मकान झोपडे जो करोटी में स्थित है को हटाकर इन पट्टों के पिछे स्थित स्वयं के कोम्पलेक्स के लिये पार्किंग व्यवस्था करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है तथा ग्राम पंचायत, लुणोल की ग्राम सभा दिनांक 14—11—2022 में पारित प्रस्ताव संख्या 04 के अनुसरण में ग्राम पंचायत, लुणोल द्वारा आवेदक को पट्टा संख्या 72 दिनांक 16—10—2022 व पट्टा संख्या 73 दिनांक 17—3—2023 में बने कच्चे मकान/झोपडे को हटाने के आवेदन का निस्तारण करते हुए आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांकःग्रापं/2021—22/94 दिनांक 21—11—2022 को जारी किया गया है।

इस प्रकार, अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त दस्तावेज ग्राम पंचायत, लुणोल की बैठक दिनांक 14—11—2022 के प्रस्ताव संख्या 04 एवं ग्राम पंचायत, लुणोल द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांकःग्रापं/2021—22/94 दिनांक 21—11—2022 से यह स्पष्ट रुप से साबित होता है कि उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 73 दिनांक 17—3—2023 की भूमि पर पूर्व में कच्चा मकान/झोपडे बने हुये थे, जिसको हटाने हेतु ग्राम पंचायत, लुणोल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पट्टाधारक द्वारा प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर बने हुए कच्चे मकान/झोपडे को हटाया गया है। इस कारण से उक्त पट्टे की भूमि के मौके की वर्तमान स्थिति के आधार पर उक्त पट्टे की भूमि को रिक्त नही माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24 मार्च, 2026 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... * सिरोही *